## OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT(CENTRAL) 361, ANNA SALAI, TEYNAMPET, CHENNAI -18

PDA(C)/Claims -II/IT/2020-21/74

Dated: 15/03/2021

## **CIRCULAR NO. 18**

Sub: Recovery of Income Tax for the year 2021-22 (Assessment Year 2022-23)

The Finance Act 2021 has not prescribed any change in the existing rates of incometax for the financial year 2021-22 for the purposes of deduction of income-tax from the payment of income under the head "Salaries".

It is proposed to deduct tax from the month of March 2021, based on the average tax liability of the individuals determined for the financial year 2020-21. However, if any official comes with the proposal for reduction or enhancement in tax liability the same may be given in writing to claims section.

On submission of Income Tax Proforma for the year 2021-22, with an option for the type of IT calculation, recovery would be revised accordingly from September 2021.

(Vide orders of PDA(C) Dt:15.03.2021)

Sr. Audit Officer / Claims

, Kohmi Shaulan

To:

Notice Board
EDP section for uploading in official website and sending SMS
SMS Message: Refer Circular no.18, dated: 15.03.2021 uploaded in official website
Regarding TDS for FY 2021-22.

Hindi section for translation

## प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय) का कार्यालय, लेखापरीक्षा भवन, 361, अण्णा सालै, चेन्नै- 600 018

सं. प्रनिलेप (के)/दावा -।।/आयटी/2020-21/74

दिनांकः 15/03/2021

## परिपत्र सं. 18

विषय : - वर्ष 2021-22 के लिए आय कर की वसूली (निर्धारण वर्ष 2022-23)

वित्त अधिनियम 2021 ने "वेतन" शीर्ष के अंतर्गत आय के भुगतान से आयकर की कटौती के प्रयोजनों के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए मौजूदा दरों में कोई भी परिवर्तन निर्धारित नहीं किया है।

माह मार्च 2021 से कर की कटौती वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए निर्धारित, व्यक्तियों की औसत कर-देयता के आधार पर करना प्रस्तावित है। तथापि, यदि कोई पदधारी कर देयता में घटौती या संवृद्धि के प्रस्ताव के साथ आते है, तो इसे दावा अनुभाग में लिखित में दिया जाए।

वर्ष 2021-22 के लिए आय कर प्रपत्र के प्रस्तुतीकरण पर ,आय कर गणना प्रकार के विकल्प के साथ, सितंबर 2021 से वसूली को तदनुसार संशोधित किया जाएगा।

( प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा के दिनांक 15.03.2021 के आदेशानुसार)

लु क्ष मी ब्राक्ट

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/दावा

सेवा में –

सूचना फलक

कार्यालयीन वेबसाइट में अपलोड करने हेतु एवं एसएमएस भेजने हेतु इडीपी अनुभाग एसएमएस संदेश- वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए टीडीएस से संबंधित कार्यालयीन वेबसाइट में अपलोड किए गए दिनांक 15/03/2021 के परिपत्र सं.18 का संदर्भ लें।

अनुवाद हेतु हिंदी अनुभाग